14/5/22

भगवती आदि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय परिवार प्रार्थीया पहली पेश अदालत में पेश हुई जिसमें का निवेदन इस प्रकार है कि अभिलेख में आवेदन उल्लेख किया है कि नामांतरण संख्या 453 दिनांक 30/3/1997 में विरासत का अंकन रजिस्टर कार्यवाही पटवारी हल्का ने गुरदारी के स्थान पर हरिराम दर्ज कर दिया जो कि गलत है क्योंकि गुरदारी का हरिराम के नाम से जाना जाता है अब सभी कागजात में गुरदारी के नाम से ही अभिलेख का सही गुरदारी की मृत्यु होने पर विरासत अंकन रजिस्टर पटवारी हल्का द्वारा अभिलेख में पति का नाम गुरदारी के स्थान पर हरिराम दर्ज कर दिया गया जबकि सही नाम गुरदारी ही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाता है। रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया जाता है। रेस्पोंडेंट उपस्थित होकर जवाब दिया कि प्रार्थीया मं. गुरदारी सही द्वारा ने अंकन रजिस्टर की जांच की है कि अंकन रजिस्टर का 453 दिनांक 30/3/1997 में विरासत में गुरदारी के स्थान पर हरिराम दर्ज कर दिया है वह गलत है सही नाम गुरदारी है और गुरदारी की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीया के पति का नाम हरिराम के स्थान पर गुरदारी दर्ज कर दिया जावे।

और कहीं भी गुरुबारी व हरीराम नाम का एक ही व्यक्ति है। सही किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की अपील के पत्र तथा राजस्व रेकार्ड के मिसल राजस्व रेकार्ड ज्ञात होता है पटवारी ने गुरुबारी से हरीराम नाम कर दिया है यह गलत है सही नाम गुरुबारी है स्वयं वोटर पहचानपत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसमे सही नाम गुरुबारी है जिसके हरीराम के स्थान पर गुरुबारी सही किया जाना उचित है।

अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण नंबर 553 दिनांक 31.3.1997 को खारिज किया जाता है तहसीलदार कामां को आदेश दिया जाता है पुनः जांच कर विधिवत नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
लोक अदालत
कामाँ (भरतपुर)

अध्यक्ष
लोक अदालत
कामाँ (भरतपुर)